


दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
14/12/2023	<p>घराबली पेश हुई, बकील बाबू उग्रो मीठी। न्यायालय के तीन-तीन आदेशों लगावमें पद भी हाजिर नहीं आये पद घराबली अकुम लपिरी व अकुम पेरकी से अंतर्गत आदेश 9 नियम 3 जा. नं० के तहत सुनद्वारा खारिजी की जाती है। घराबली कौंसल सुमा होकर बाकू लफ्मील काबिल दफ्तर है। नियम सुले न्यायालय के मुजाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।</p>	

  
 उपरवर्त अधिकारी  
 साँभर लेक

